



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 46 अंक 24 Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in> 1 फरवरी, 2024 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु



सभी प्रदेशवासियों को

गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं



“राष्ट्र निर्माण में संवैधानिक मूल्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आइये, गणतंत्र दिवस पर इन मूल्यों का संरक्षण और संवर्द्धन करने का संकल्प लें और श्रम की पराकाष्ठा करते हुए प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में हम सहभागी हों।”

- भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान



राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

रा.रो.सं 06/2024

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं.वि.सं. 13/EXAM/PROGRAMMER/EP-I/2023-24

दिनांक: 25.01.2024

आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत प्रोग्रामर (Programmer) के कुल 216 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV
Programmer	216	53	16	5	2	28	8	3	1	25 (3 Backlog, year 2013)	8 (1 Backlog, year 2013)	3	0	23	6	3	1	7	2	1	0	15	5	1	0

Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-3, SC-2, ST-1, OBC-1, MBC-0, EWS-1)
2. P.H. - (i) B/LV-3(1, Backlog year 2013), (ii) D., H.H.-3(1, Backlog year 2013), (iii) LD/CP&Others-3(1, Backlog year 2013), (iv) (a) I.D., M.L., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -2

Abbreviations Used: GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.L.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Mul.Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थों पर उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्व तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्व वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थों पर उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिवत विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी भी पात्र और उपयुक्त अर्थों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर्-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अर्थों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्पूर्व वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थों जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्ता उस रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- B.E./B.Tech./M.Sc. in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications or M.C.A. from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government, OR M.Tech. degree in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government, OR M.B.A. (IT) from a University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अंजित करने का सबूत देना होगा।
पे-मैट्रिक्स लेवल आयु सीमा	पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (Grade Pay -4800/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अर्थों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं

(क्रमशः)

[illegible]

Note :- "Minimum qualifying marks :- 1. Candidates who obtain a minimum of 40% marks in the aggregate for the written examination shall be considered to have obtained qualifying marks at the written examination, but the minimum qualifying marks in the written examination for the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, shall be 30%. The Commission/Appointing Authority may in their/discretion award grace marks upto three in the aggregate."

PAPER - I

Introduction: Internet, Java as a tool for internet applications, Byte Code and its advantages. (प्रामा.)

	अन्य विवरण
प्रश्न प्रक्रिया	अर्जियों का यह चरण निहित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अन्तरालकाल करने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपूर्वपत्रिका के भूयुक्तमान में संशोधित/संशोधन/निवेदनपरिवर्तन (साधनात्मक) बदली को अनुमत या स्वीका। संशोधित सेवा नियम के नियम 25 के अनुसार आवेदन द्वारा उपरान्त पाये गए अर्थपूर्ण के नाम राज सरकार/प्रमुख अधिकारी को अनुमति दिए जायेंगे जो मॉरी (Mort) के क्रम में प्रयासित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं मंडल	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्याख्यान सुचित कर दिया जाएगा।
परीक्षा योजना व प्राधान्य	प्रदेशीय परीक्षा संशोधित सेवा नियम के नियम 17 एवं 18 के अनुसार आयोजित की जाएगी। विस्तृत पदचित्रण आयोग की वेबसाइट पर सूचना के जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 तिथि 12-00 बजे होगा।
आवेदन प्रक्रिया	1. अपने हुए हेतु आवेदनकर्ता आवेदन-पत्र भरने पूर्व सफलतापूर्वक अर्जियों की वेबसाइट https://rpssc.raajasthan.gov.in पर परलयक आयोग के आवेदन करने के समय में दिये गये विवरण-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विवरण एवं संशोधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदनुसार ही अपनी जानकारी/आवेदन करने। आवेदी की वेबसाइट पर सफलता अभ्यासों के लिए विवरण-निर्देश (Instructions for Applicants) दिखाए जा हैं नीचा/हिस्सा माना जाएगा। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदी की वेबसाइट https://rpssc.raajasthan.gov.in पर उनमें Apply online link को Click कर अपना प्रत्यावेष्टा (SSO) देखें। https://rpssc.raajasthan.gov.in से Login कर Citizen App (GAC) में परलयक Recruitment Portal का क्लिक कर One Time Registration (OTR) करना होगा। क्लिक कर One Time Registration (OTR) करने बाद अर्जियों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, शिक्षा, स्कैन/फोटो/चमका/पिता का आधार कार्ड/पिता का फोन नंबर/माँ का आधार कार्ड/इलेक्ट्रिक लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. को केवल का इन्द्राव एवं ओकेट्यूडन अवस्था करने अनिवार्य है। 3. जिन आवेदकों ने प्राप्त पूर्व OTR नहीं बना चुका है वे अपनी ओर प्रत्यावेष्टा करें। https://rpssc.raajasthan.gov.in से Login कर Citizen App (GAC) में परलयक Recruitment Portal का क्लिक कर अपने नाम/पिता/संबंध के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। 4. अपनी प्राप्त One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता, जन्म तिथि, शिक्षा, स्कैन/फोटो/चमका/पिता का आधार कार्ड/पिता का फोन नंबर/माँ का आधार कार्ड/इलेक्ट्रिक लाइसेंस आई.डी. रिकार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। जब OTR करने से पूर्व आधार/जनसर्व/SSO संग्रहण में अप्रैल दिवार का शेषिक प्रत्यावेष्टा में अप्रैल प्रविष्टि एवं लोकप्रतिष्ठान प्रति पुष्टिकरण कर लेते। यदि निर्देश कार्य अप्रैल में ही जनसर्व/माँ का आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टि एवं आवश्यक Correction करने के पश्चात् ही OTR परिवर्तन व बदलन प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता होगी।
आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करते के पश्चात् आवेदन-पत्र कम्प्लीट अवस्थाम तक से प्राप्त होना और यदि आवेदन-पत्र कम्प्लीट (Application ID) अनिवार्य या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका बंद रह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं करना चाहिए।	
आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करते समय आपकी किसी प्रतिकृती को कोई धाराओं में Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।	

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 12/परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/RPSC/EP-I/2023-24

दिनांक : 25.01.2024

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक-विद्यालय (LECTURER-SCHOOL) के निम्नलिखित विषयों के कुल 52 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

Post S. No.	Name of Subject	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				
			GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	
1	हिन्दी	17	6	2	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -1																											
2	अंग्रेजी	11	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -1																											
3	साहित्य	04	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -1																											
4	सामान्य व्याकरण	10	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -1																											
5	व्याकरण	07	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -0																											
6	यजुर्वेद	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -0																											
7	राजनीति विज्ञान	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -0																											
8	इतिहास	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen/UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H. - (i) B/L/V-0, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism & (b) Mul.Dis. -0																											
Abbreviations Used: GEN – General, U.R. – Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD- Widow, DV-Divorcee, B/L/V- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped. टिप्पणी:- एकलिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपयुक्त सांरणी में दिव्यांगता की दराई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।																											

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनिबन्ध के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्त पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विध्वंस विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विध्वंस विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विध्वंस विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विध्वंस विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर कैटिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण कैटिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1998 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार कैटिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्त उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्त आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्ता उस रिक्त को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- (i) हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए :-
Second class post-graduate degree in the concerned subject having minimum 48% marks with ShikshaShastri/B.Ed. degree.
(ii) सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए :-
Shastri or equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium and Second Class Acharya degree or equivalent Sanskrit medium examination in the concerned subject having minimum 48% marks with ShikshaShastri degree or equivalent.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। (क्रमशः)

5.	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
	Total	75	150
Paper-II Subject concerned			
Duration: Three hours			
(a) For the post of Lecturer (School) – Other than Sanskrit subjects (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास एवं चर्यागि शिक्षण के लिए)			
S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Senior Secondary Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Graduation Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Post-Graduation Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and information Technology in Teaching Learning	30	60
	Total	150	300
Paper-II Subject concerned			
Duration: Three hours			
(b) For the post of Lecturer (School) – Sanskrit subjects (संस्कृत अध्यापन, कालिख, अध्यापन एवं कुरुषु के लिए)			
Medium of examination shall be Sanskrit Language			
S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Varishtha Upadhyaya Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Shastri Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Acharya Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and information Technology in Teaching Learning	30	60
	Total	150	300

उत्ता पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle "5". If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- [illegible]

पूजित नहीं हुए हैं, तो पीतलका/विभिन्न विभिन्न/तलाकसुदा श्री/बन का लाल देव नहीं होगा। साथ ही विद्या/विभिन्न विद्या/तलाकसुदा/पीतलका श्री की महिला को आंतरिक आवेदन की आदि दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विद्या/विभिन्न विद्या/तलाकसुदा/पीतलका श्री में होने संबंधी कथन पर प्रस्तुत करना होगा।

- [illegible]

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

[illegible]

- [illegible]

रोजगार के अवसर

(संक्षिप्त जानकारी)

इंडियन पोस्ट सर्किल पद - ड्राइवर पद संख्या - कुल 78 पद अंतिम तिथि - 16 फरवरी, 2024 https://www.indiapost.gov.in/	बैंक ऑफ बड़ौदा पद - मैनेजर पद संख्या - कुल 38 पद अंतिम तिथि - 08 फरवरी, 2024 www.bankofbaroda.in/	ओएसएससी पद - जूनियर अकाउंटेंट व अन्य पद संख्या - कुल 31 पद अंतिम तिथि - 15 फरवरी, 2024 https://ossc.gov.in/	जेएसएससी पद - स्टेटिस्टिकल असि. व अन्य पद संख्या - कुल 492 पद अंतिम तिथि - 15 फरवरी 2024 www.aai.aero/
एमआरपीएल पद - असिस्टेंट इंजीनियर आदि पद संख्या - कुल 27 पद अंतिम तिथि - 10 फरवरी, 2024 https://www.mrpl.co.in/	साहित्य अकादमी पद - जूनियर क्लर्क, पब्लिकेशन असिस्टेंट आदि पद संख्या - कुल 10 पद अंतिम तिथि - 05 फरवरी, 2024 https://sahitya-akademi.gov.in/	इलाहाबाद हाईकोर्ट पद - एडवोकेट पद संख्या - कुल 83 पद अंतिम तिथि - 29 फरवरी 2024 www.allahabadhighcourt.in/	जेएसएससी पद - कॉन्स्टेबल पद संख्या - कुल 4919 पद अंतिम तिथि - 14 फरवरी 2024 https://jssc.nic.in/

સાક્ષિપત્ર વિજ્ઞાપન
રાજસ્થાન ઉચ્ચ ન્યાયાલય, જોધપુર

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.नि.स./2024/146

दिनांक : 18.01.2024

कनिष्ठ निजी सहायक (हिन्दी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2024

राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 (ग्याससोहोतिव) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002 (As amended)] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में कॉमिनिटि पदोपलब्ध (हिन्दी) के निम्न उल्लेखित पदों पर सीधी सीटें एवं निविदाओं आगोशान्ति प्रारूप (Online Format) में ऑनलाइन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। दफ्तरत अध्यायी विमगानुसार दये र्के की अग्रिम तल रूप्ये 23,700/- (fixed) प्रिमतार पारिश्रमि पर पदोपलब्धता प्रिमतारपथी (Probationer Salary) के रूप में र्के की। सदिये काल सकलतारपुर्क पूने काल पर उर्के विमगानुसार पे-मैट्रिक लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे-स्केल र. 33,800/-,06,700/- संवैधोत।

1. रिक्त पदों का विवरण :-

रिक्तियाँ	सामान्य/अनारक्षित (Gen/UR)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग एन.सी.एल (OBC-NCL)	अति पिछड़ा वर्ग एन.सी.एल (MBC-NCL)	कुल रिक्तियों की संख्या
कुल पद	13	03	04	03	06	01	30

नोट :- कृषिजीय आरक्षित पर्वों हेतु विस्तृत विज्ञापन देखें ।

2. ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा-
(अ) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1.00 बजे से अन्तिम दिनांक 09.03.2024 (शनिवार) को सायं 05.00 बजे तक भरे जा सकेंगे, इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

(ख) ऑनलाईन परीक्षा शुल्क दिनांक 09.02.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1.00 बजे से अन्तिम दिनांक 10.03.2024 (रविवार) को सायं 05.00 बजे तक जमा करवाया जा सकेगा, इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

(द) हस्तक अभ्युत्थी विस्तृत जानकारी हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://hcrai-pie.in> पर "विस्तृत विज्ञापन" देखें।

रा.रो.सं 08/2024 रजिस्ट्रार (परीक्षा)

रा.रो.सं 08/2024

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

(पृष्ठ 7 का शेष)

- [illegible]

विशेष नोट :- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु सम्पत्ति स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक /ई-निर्वा/अन्य स्वीत द्वारा किये गये ऑनलाइन-प्रश्न में आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अस्थिती द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण मात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक को ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्थिती को कोई भी नतीजा अधिकार भी नहीं होगा।

[illegible]

डी.आई.पी.आर/सी/392/2024 रा.रो.सं 09/2024

(रामनिवास मेहता)

100

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

रजस्थान ग्रेजुगर स्टूडेंस (पक्षिक) के वार्षिक अधिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अधिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की गणिका भास्तीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) रजस्थान ग्रेजुगर स्टूडेंस के पक्ष में भेजकर इस पक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मापाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुख्य, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बड़गुजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दाबाबा स्कूल परिसर,
चौबीसवाली मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फ़ोन- 23668398
e-mail – adsr_jrp.em@rajasthan.gov.in